यह निरीक्षण प्रतिवेदनकार्यालयजिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वारद्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला सेवायोजन अधिकारी,हरिद्वार के माह 07/2018से 09/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,तथा श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक05.10.2020 से 14.10.2020 तक श्री एस.के. जौहरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मेंसम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 12.07.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी। जिसमें माह 03/2014 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2).(i).इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रःइकाई के अधीन कैरियर काउन्सलिंग, स्वत: रोजगार, पंजीयन एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद हरिद्वार का समस्त भौगोलिक अधिकार क्षेत्र आता है।

ii). (अ).विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	अंतिम अवशेष
2017-18	0	87.61	81.39	6.02
2018-19	0	82.55	80.36	2.19
2019-20	0	88.27	87.17	1.10
2020-21 (till 09/2020)	0	1.34	50.79	(-)49.45

जिला योजना:-

(रु. लाख मे)

वित्तीय वर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (till 09/2020)
प्रारम्भिक अवशेष		0	0	0	0
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	(क) केंद्रान्श	0	0	0	0
	(ख) राज्यांश	2.40	5.50	5.00	4.50
	(ग) अन्य स्रोतों से	0	0	0	0
कुल प्राप्तियाँ		2.40	5.50	5.00	0
व्यय		2.40	5.50	4.99382	0
अंतिम अवशेष		0	0	0.00618	4.50

(ब).Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं: ---लागू नही---

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2020-21 (till 09/2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii).इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना मद व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई'C' श्रेणीकी है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a).प्रमुख सचिव,सेवायोजन,उत्तराखंड, देहरादून

b).निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

c). उप निदेशक, सेवायोजन, हल्द्वानी

d). क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार

e). जिला सेवायोजन अधिकारी,हरिद्वार

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिःवर्तमान लेखापरीक्षा07/2018से 09/2020तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालयजिला सेवायोजन अधिकारी,हरिद्वार के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयजिला सेवायोजन अधिकारी,हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2019एवं 07/2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v).लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा13;लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर 01- जिला योजना के निर्देशों का उल्लंघन कर रु.2.05 लाख का अनियमित व्यय।

जिला योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करते समय जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस धनराशि को व्ययकिए जाने के संबंध में निम्नवत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि-

"व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाए जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गतकी जा रही है । साथ ही किसी प्रकार का मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा" ।

जिला योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में निम्नवत मदों के अंतर्गत धनराशि प्रदान की गयी थी -

क्रमांक	मद का नाम	2018-19	2019-20
1.	कार्यालय सुद्रड़ीकरण	1.00 लाख	2.50 लाख
2.	कैरियर कार्नर साहित्य एवं प्रचार प्रसार	3.50 लाख	1.00 लाख
3.	शिक्षण मार्गदर्शन केंद्र सुद्रड़ीकरण	1.00 लाख	1.50 लाख
	कुल धनराशि	**5.50 लाख**	**5.00 लाख**

उपरोक्त दिशानिर्देश के क्रम में उपरोक्त मदों हेतु आवंटित धनराशि के व्यय संबंधी व्यय-बाउचर्स की नमूना जांच में पाया गया कि-

1-वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत कैरियर कार्नर साहित्य एवं प्रचार-प्रसार मद में रु.3.50 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी, उपरोक्त धनराशि में से मात्र रु.193500/- की धनराशि ही उक्त मद के अंतर्गत व्यय की गयी जो उपलब्ध धनराशि का 55% था। अवशेष धनराशि में से रु. 83545/- स्टाफ कार के तेल एवं अनुरक्षण पर एवं रु.24975/- IPAD के क्रय पर एवं रु.20899/- इंवेर्टर/यूपीएस॰ के क्रय पर व्यय किए गए जो जिला योजना से प्रावधानित नहींथेएवं उक्त व्यय नियमित बजट से किए जाने चाहिए थे, इस प्रकार उपरोक्त रु.129419/- का व्यय जिला योजना के निर्देशों का उल्लंघन था । इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत कार्यालय सुद्रढीकरण एवं शिक्षण मार्गदर्शन केंद्र सुद्रढीकरण हेतु प्रत्येक के लिए रु.एक-एक लाख कुल दो लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी परंतु उपरोक्त मदों के अंतर्गत किए गए व्ययों का कोई वर्गीकरण इकाई के पास उपलब्ध नहीं था एवं यह व्यय संयुक्त रूप से किए गए प्रतीत होते हैं । जिला योजना के निर्देशों के अनुसार मद विशेषहेतुआवंटित धनराशि से किए जाने वाले व्ययों की वर्गीकृत सूची बनाई जानी चाहियेथी एवं तदनारूपउसी धनराशि में से व्यय किया जाना चाहिये था । अतः उपरोक्त कार्यवाही जिला योजना के निर्देशों का उल्लंघन था ।

2- इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत कैरियर कार्नर साहित्य एवं प्रचार-प्रसार मद में रु.1.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी, उपरोक्त धनराशि में से मात्र रु.23888/- का व्यय किया गया जो कुल आवंटन का 24% था अवशेष धनराशि में से रु. 75494/- स्टाफ कार के तेल एवं अनुरक्षण पर व्यय किए गए जो जिला योजना से प्रावधानित नहींथे। उक्त व्यय नियमित बजट से किए जाने चाहिए थे, इस प्रकार उपरोक्त रु.75494/- का व्ययजिला योजना के निर्देशों का उल्लंघन था । बेरोजगार युवाओं के लिए कैरियर कार्नर साहित्य एवं प्रचार प्रसार एक अत्यंत आवश्यक अंग है इस महत्वपूर्ण अंग पर विगत 02 वर्षों में उपलब्ध धनराशि का मात्र 55% एवं 24% धनराशि व्यय किया जाना अत्यंत खेदपूर्ण था ।

इस संबंध में इकाई से पूंछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि " बेरोजगार अभ्यर्थियों के कल्याण के लिए जिला योजना से 03 मदों में धनराशि प्रदान की गयी थी । विभागीय मीटिंग, रोजगार मेला एवं काऊसिलिंग वर्कशाप आदि हेतु विभागीय वाहन का ज्यादा उपभोग करना पड़ता है । नियमित बजट में तेल मद में कम धनराशि प्राप्त होने के कारण इस मद की धनराशि से व्यय करना पड़ा । लेखापरीक्षा द्वारा

दिये गए निर्देशों के अनुसार भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलायोजना में काफी कम धनराशि प्राप्त होने के कारण आवश्यक मदों पर व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार युवाओं के मार्गदर्शन हेतु विभाग पूरी तरह समर्पित है एवं भविष्य में इस दिशा में और गंभीर प्रयास किए जाएंगे ।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विभागीय वाहन के तेल एवं अनुरक्षण हेतु नियमित बजट में प्रावधान किया जाता है एवं कमी पड़ने पर इस मद में और धनराशि की मांग की जानी चाहिये थी । जिला योजना की धनराशि बेरोजगार युवाओं के मार्गदर्शन हेतु चलाई जाने वाली योजना केरियर कोर्नर एवं प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराई गयी थी उस धनराशि में से अन्य कार्यों पर व्यय किया जाना सर्वथा अनुचित था एवं इस संबंध में योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्ययों हेतु स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था । अतः जिला योजना से रु.2.05 लाख(रु.129419+रु.75494) के अनियमित व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग 2ब

प्रस्तर02:-प्राप्ति एवं संदाय नियमवाली का अनुपालन न कर विभागीय प्राप्तियाँ रु0 1.73 लाख का कार्यालय पर व्यय किया जाना तथा राजस्व प्राप्तियों को सरकारी राजकोष में समय से जमा न कर अवरुद्ध रखा जाना ।

"प्राप्ति एवं संदाय नियमवाली 1983 के नियम 06 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्राप्त समस्त राजस्व प्राप्तियाँ अविलंब से सरकारी राजकोष में जमा करेगा तथा किसी भी प्रकार के कार्यालय व्यय पर नहीं करेगा"।

जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यालय के अभिलेखों के अंतर्गत विभिन्न प्राप्तियों की विस्तृत जाँच (चयनित माह दिसंबर 2018एवंअगस्त 2019) में पाया गया कि कार्यालय के माध्यम से बेरोजगार छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर प्रति छात्र रु0 30/- राजस्व प्राप्त होता है । कार्यालय को माह जुलाई 2018 से सितंबर 2020 के दौरान रु0 2,85,428/- राजस्व प्राप्त हुआ (सूची संलगन) जिसमे से कार्यालय द्वारा रु0 1,72,827/- इंटरनेट रीचार्ज, कार्टरेज रिफिलिंग तथा कम्प्युटर के मरम्मत कार्यों इत्यादि पर व्यय किया गया एवं रु0 88015/-(52200/- लेखापरीक्षा अवधि से पूर्व में प्राप्त होने के कारण सम्मालित नहीं किया गया है) ई-डिस्ट्रिक्ट खाते में दो से नौ माह के विलंब से जमा किया गया जो उपरोक्त निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त प्राप्ति एवं संदाय नियमवाली 1983 के नियम के अनुसार सभी प्रकार के व्यय ओर प्राप्तियों संबंधी प्रविष्टियाँ का रोकड़ बही मे दर्ज किया जाना अनिवार्य है परंतु कार्यालय द्वारा राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा रोकड़ बही मे भी दर्ज नहीं किया जा रहा था जिससे वास्तविक प्राप्तियों की प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट समिति के पत्रांक 14/21-03-2015 द्वारा निर्देशों के अनुसार उक्त व्यय किये गये तथा भविष्य में राजस्व प्राप्तियों को तत्काल राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ई-डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा जारी निर्देशों में इंटरनेट रिचार्ज, काटरेज़ रिफिलिंग तथा कम्प्युटर के मरम्मत कार्यों इत्यादि पर व्यय करने हेतु कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किये गये थे।

इस प्रकार इकाई द्वारा बिना किसी आदेश/निर्देशों के रु0 1.73 लाख की राजस्व प्राप्ति को कार्यालय मदों परव्ययकिए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
SS/AIR-206/2013-14	2	---	1, 2	---	---
SS/AIR-58/2018-19	1	---	1	---	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-206/2013-14	नवीनतम अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के अनुमोदनापरान्त महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जाएगी।			
SS/AIR-58/2018-19				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य...

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएःशून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री उत्तम कुमार	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	07/2018 से 09/2020

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ एएमजी- I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I